रजिस्टर्ड नं०-एन०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 30 मार्च, 2024 ई० (चैत्र 10, 1946 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर

09 फरवरी, 2024 ई0

सं0 154/न0पा0प0शि/2024–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-294, 298(2) सूची ज(घ) के साथ पठित धारा-131 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद् शिकारपुर, बुलन्दशहर की सीमा हेतु ठेकेदारों/फर्मो के पंजीकरण हेतु उपविधि 2023 की बोर्ड बैठक दिनांक 23 जून, 2023 के प्रस्ताव सं0–67 नगरपालिका परिषद् शिकारपुर द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर वित्तीय वर्ष 2023-24 उपविधि कहलायी जायेगी। नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की सीमान्तर्गत लगाये जाने वाले ठेकेदारों/फर्मो के पंजीकरण हेतु निम्न विहित रीति से तैयार कराकर हिन्दुस्तान समाचार-पत्र में दिनांक 02 सितम्बर 2023 एवं दैनिक विशाल विश्व मानव दिनांक 04 सितम्बर, 2023 में प्रकाशन इस आशय से किया गया कि जिस व्यक्ति को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के कार्यालय में सूचना प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते है। परन्तु प्रकाशन के निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नही हुई है। अतः कार्यालय नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 को यह अपनी मूल रूप से सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, यह उपविधि गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

ठेकेदारों/फर्मों के पंजीकरण की उपविधि 2023

1–**परिभाषायें**–

1–अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष से है।

2—ठेकेदारों का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर के अन्तर्गत ठेके का कार्य करने वाले व्यक्ति से है।

3—अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

2— इस नियम के अनुसार ठेकेदार, पंजीकरण हेतु तीन श्रेणीयों में विभाजित किये जायेंगे।

श्रेणी (अ) ठेकेदार जो किसी भी प्रांकलन धनराशि एवं दस लाख रुपये से अधिक धनराशि के कार्य के लिए अधिकृत होगा।

श्रेणी (ब) वे ठेकेदार जो रु0 10,00,000.00 (दस लाख रुपये) प्रांकलन की धनराशि तक के लिए अधिकृत होगा।

श्रेणी (स) वे ठेकेदार जो रु0 5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) तक के प्रांकलन की धनराशि के लिए अधिकृत होगा।

3— ठेकेदारी का पंजीकरण किये जाने का शुल्क निम्नलिखित होगा। जो किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

श्रेणी (अ) ठेकेदार / फर्म	रु0 15,000 / — (पन्द्रह हजार रुपये)
श्रेणी (ब) ठेकेदार / फर्म	रु0 10,000 / — (दस हजार रुपये)
श्रेणी (स) ठेकेदार / फर्म	रु0 5,000 / — (पांच हजार रुपये)

उक्त के अतिरिक्त सभी श्रेणीयों में (अ) (ब) (स) के ठेकेदारों / फर्मों को रु0 50,000.00 धरोहर राशि के रूप में जमा करने होंगे। उक्त धनराशि रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के पश्चात वापस कर दी जायेगी।

4— निविदा देते समय ठेकेदार को प्रत्येक प्रांकलन की धनराशि को श्रेणी (अ) (ब) (स) 10 प्रतिशत अग्रिम धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी और निविदा प्रपत्र के साथ प्रत्येक प्रांकलन की 2 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप मे जमा करनी होगी, ठेकेदार स्वीकृति की सूचना मिलने पर 7 दिन के अन्दर 8 प्रतिशत जमानत की धनराशि जमा कर अनुबन्ध-पत्र नियमानुसार स्टाम्प पर तैयार कराकर प्रस्तुत करने को बाध्य होगा और अधिशासी अधिकारी या अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी के द्वारा निर्माण कार्य की सूचना मिलने पर कार्य आरम्भ करना होगा।

5— निर्धारित अवधि के भीतर ही निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होगा। विशेष परिस्थितियों में कार्य अवधि बढ़ाये जाने के विषय में विचार करने के लिए अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष का अपना विवेक होगा।

6— अनुच्छेद चार के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा जमा की गई अग्रिम एवं जमानत की धनराशि, कार्य पूर्ण करने की तिथि से 01 वर्ष बाद ही वापस की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है, कि कार्य प्रांकलन के अनुसार किया गया हो। कार्य निर्माण में किसी प्रकार की त्रुटि न रह गयी हो, परिगणना मूल से कार्य का अधिक भुगतान न हुआ हो, उल्लिखित त्रुटियों के अतिरिक्त, किन्हीं कारणों से जमानत फोर फीट न कर दी हो।

7— नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति (ठेकेदार / फर्म) ई-टेण्डर / निविदा डालता है तो उसकी निविदा स्वीकृति उपरान्त नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की शर्तो के अनुसार पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। अगर तीन दिवस के अन्दर ठेकेदार / फर्म द्वारा पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो उसकी निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। वह निविदा निरस्त समझी जायेगी तथा उसकी पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।

8— नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के अन्तर्गत 0.00 रुपयो से रु0 9.99 लाख तक की निविदा में ठेकेदार / फर्म को निविदा डालने से पूर्व पंजीकरण, शर्तों के अनुसार कराना अनिवार्य होगा

9— निर्माण कार्यों में केवल पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डाल सकेंगे।

10– निर्धारित रूप पत्र पर निविदा फार्म पर ही निविदा डाली जा सकेगी, और एक कार्य के लिए एक ही निविदा फार्म प्रयोग में लाया जा सकेगा, निविदा फार्म नगरपालिका परिषद् शिकारपुर से ही प्राप्त करना होगा जो निविदा फार्म निर्धारित शुल्क जमा कराकर पालिका द्वारा उपलब्ध कराया जा सकेगा।

11– अनुच्छेद 2 में वर्णित कार्य श्रेणियों के अनुसार निविदा फार्म की दर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है। प्रतिबन्ध यह है, कि इन दरों को अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष परिवर्तित भी कर सकते हैं।

श्रेणी (अ) दस लाख से अधिक प्रांकलन की धनराशि के लिए आमंत्रित टेण्डरों के लिए रु0 2,500.00 प्रति फार्म मूल्य देना होगा।

श्रेणी (ब) पांच लाख रुपये से रु0 9.99 लाख तक के प्रांकलन की धनराशि के लिए आमंत्रित टेण्डरों के लिए रु0 1500.00 प्रति फार्म मूल्य देना होगा।

श्रेणी (स) एक लाख रुपये से रु0 4.99 लाख तक के प्रांकलन की धनराशि के टेण्डरों के लिए रु0 750.00 प्रति फार्म मूल्य देना होगा।

12– प्रत्येक निविदा बन्द लिफाफे में दी जायेगी, निविदा देने वाले को अपनी निविदा दरें, निविदा फार्म में स्पष्ट तथा अंकों व शब्दों में देनी होगी।

13– ठेके से सम्बन्धित प्रपत्र, मानचित्र एवं अनुमान पत्र कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के अन्दर देखे जा सकते हैं।

14– नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराये बिना ठेकेदार का कार्य नही कर सकेगा, ठेकेदारी करने वाले व्यक्ति को अपने प्रार्थना-पत्र के साथ, हैसियत प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र तथा निर्धारित शुल्क पालिका के अधिशासी अधिकारी को प्रेषित कर पंजीकरण कराना होगा।

15– यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ठेकेदारी के लिए, फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14 में किये गये प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त फर्म की पार्टनर शिप का अनुबन्ध-पत्र एवं रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा पालिका में पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

16– नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के अन्तर्गत कोई भी ठेकेदार/फर्म इस निकाय से रजिस्ट्रेशन कराये बिना ठेकेदारी का कार्य नही कर सकेगा तथा ठेकेदार कार्य के लिए नवीनीकरण शुल्क निम्न लिखित निर्धारित किया जाता है।

श्रेणी (अ) के लिए ठेकेदारी लाइसेन्स शुल्क – रु0 10,000/– मात्र

श्रेणी (ब) के लिए ठेकेदारी लाइसेन्स शुल्क – रु0 8,000/– मात्र

श्रेणी (स) के लिए ठेकेदारी लाइसेन्स शुल्क – रु0 4,000/– मात्र

17– रजिस्ट्रेशन की अवधि वित्तीय वर्ष के लिए होगी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अथवा नये वर्ष के ठेकेदारी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण निर्धारित शुल्क देकर कराना होगा।

18– इस निकाय के अन्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदार/फर्म को वित्तीय वर्ष के आरम्भ में निर्धारित शुल्क देकर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा।

19– यह है, कि उपनियम उन समस्त ठेकेदारों/फर्मों पर लागू होगा, जो निकाय के कार्यों का ठेका लेते हैं।

20– यदि स्वीकृत कार्य समय अवधि के अन्दर ठेकेदार/फर्म द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो समय अवधि के समाप्त होने के पश्चात् रु0 50 प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी शुल्क जमा करना होगा या कार्य बिल से काट लिया जायेगा।

21– नगरपालिका परिषद् शिकारपुर में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है या उक्त कार्य में कोई त्रुटि पायी जाती है तो उक्त ठेकेदार/फर्म पर जुर्माना तथा काली सूची में उसका नाम डाल दिया जायेगा। जिसका अधिकार पालिका अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

22– निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार पालिका अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

23– ठेकेदार/फर्म की स्वीकृत निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार पालिका अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

24– अनुच्छेद 16 और 17 केवल उन ठेकेदारों/फर्मों पर लागू होगा जो इस नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत ठेकेदारी का कार्य करते हैं।

शास्ती

नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-299(1) 2 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद् शिकारपुर आदेश करती है, कि उपरोक्त अधिनियम की किसी भी धारा का उल्लंघन किये जाने पर उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध रु0 10,000/– (दस हजार रुपया) तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

(हा0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद् शिकारपुर,
जनपद-बुलन्दशहर।

कार्यालय नगरपालिका परिषद् शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर

09 फरवरी, 2024 ई0

सं0 155/न0पा0प0शि/2024–उ0प्र0 अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद् शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर के सीमा हेतु ''विज्ञापन (शुल्क) उपविधि नियमावली 2023'' प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली की धारा-301 की आपेक्षानुसार उपविधि तैयार की गई है जो नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 23 जून, 2023 के प्रस्ताव सं0-6 में स्वीकृत है। नगरपालिका परिषद् शिकारपुर द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर वित्तीय वर्ष 2023-24 उपविधि कहलायी जायेगी। नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की सीमान्र्तगत लगाये जाने वाले विज्ञापन शुल्क हेतु निम्न विहित रीति से तैयार कराकर दैनिक जागरण समाचार-पत्र में दिनांक 03 सितम्बर, 2023 एवं दैनिक विशाल विश्व मानव दिनांक 03 सितम्बर, 2023 में प्रकाशन इस आश्य से किया गया कि जिस व्यक्ति को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के कार्यालय में सूचना प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते है। परन्तु प्रकाशन के निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नही हुई है। अतः कार्यालय नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 को यह अपनी मूल रूप से सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, यह उपविधि गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।